राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–40 / 2024

राम मोहन मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रतापगढ।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 16.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.डी. मीणा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 19.05.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा अपीलार्थी जो तत्कालीन अति.मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (मूल पद प्रधानाचार्य) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, धरियावद, प्रतापगढ में कार्यरत था, उन्हें राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि निलम्बन आदेश में राजस्थान सरकार की बाल गोपाल योजना के तहत निशुल्क वितरण स्कीम्ड दूध पाउडर एवं उडान योजना के तहत निशुल्क वितरण सैनेटरी नैपकीन व पोषाहार सामग्री के अवैध भण्डारण कर काला बाजारी के प्रकरण में पुलिस थाना प्रतापगढ में प्रकरण संख्या 69 / 2023, 70 / 2023, 186 / 2023, 187 / 2023, 188 / 2023 अन्तर्गत धारा 420, 409, 467, 468, 120बी. भादस में दर्ज होने का उल्लेख है, परन्तु अपीलार्थी किसी भी प्रकार से उक्त दर्ज फौजदारी प्रकरणों में शामिल नहीं था। अपीलार्थी के विरूद्ध ये प्रकरण दर्ज नहीं हुए हैं। अपीलार्थी किसी भी प्रकरण में अभियुक्त नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी को एफआईआर संख्या 187 / 2023 में प्रस्तुत चार्जशीट में अभियोजन साक्षी बनाया गया है। अपीलार्थी को एफआईआर संख्या 69 / 2023 में भी अभियोजन साक्षी बनाया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी अभियुक्त न होकर अभियोजन पक्ष का गवाह है। अपीलार्थी को गलत रूप से मामले में संलिप्त मानते हुए उसे निलम्बित किया गया है, जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध लेशमात्र भी साक्ष्य

नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि फौजदारी प्रकरणों में अनुसंधान के दौरान पुलिस अधीक्षक जिला प्रतापगढ ने जिला कलेक्टर प्रतापगढ को पत्र दिनांक 12.05.2023 (अनुलग्नक–3) प्रेषित किया, जिसमें अंकित किया गया है कि अनुसंधान के क्रम में राममोहन मीणा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) धरियावद, जिला प्रतापगढ की संलिप्तता पाई गई है, परन्तु बाद में अनुसंधान के दौरान अपीलार्थी के विरूद्ध कोई चार्जशीट प्रस्तुत नहीं हुई है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की कोई संलिप्तता नहीं थी। परन्तु फिर भी पुलिस अधीक्षक के उपरोक्त पत्र को आधार मानते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि उपरोक्त एफआईआर में अपीलार्थी के विरूद्ध चार्जशीट प्रस्तुत नहीं हुई है। ऐसे में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही किया जाना एवं अपीलार्थी को निलम्बित किया जाना उचित नहीं है।

2. उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की ओर से निलम्बन आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध पुलिस थाना प्रतापगढ द्वारा राजस्थान सरकार की बाल गोपाल योजना के तहत निःशुल्क वितरण स्कीम्ड दूध पाउडर एवं उडान योजना के तहत निःशुल्क सैनेटरी नैपकीन एवं पोषाहार सामग्री का अवैध भण्डारण कर उक्त राजकीय सामान की कालाबाजारी के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 69/2023, 70/2023 186/2023 187/2023 तथा 188/2023 अन्तर्गत धारा 420, 409, 468, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज किया गया। भ्रष्टाचार के गंभीर प्रकरण में संलिप्तता की जानकारी प्राप्त होते ही अपीलार्थी कार्मिक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–16 (सीसीए–16) में आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी करते हुए विभागीय जाँच की कार्यवाही प्रारंभ की गई। अपीलार्थी को दिनांक 19.05.2023 को नियम–16 सीसीए नियम के तहत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र दिये जा चुके हैं।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हुए है कि अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सरकार की बाल गोपाल योजना के तहत निशुल्क वितरण स्कीम्ड दूध पाउडर एवं उडान योजना के तहत निशुल्क वितरण सैनेटरी नैपकीन व पोषाहार सामग्री के अवैध भण्डारण कर काला बाजारी के प्रकरण में पुलिस थाना प्रतापगढ में प्रकरण संख्या 69/2023, 70/2023, 186/2023, 187/2023, 188/2023 अन्तर्गत धारा 420,

409, 467, 468, 120बी. भादस में दर्ज की गयी है और प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को इस मामले में प्रथम दृष्टया संलिप्त मानते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित जांच को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को निलम्बित किया था। नियम–13(1) में निम्न प्रकार से प्रावधान है :–

> ''नियम 13. निलम्बन–(1) नियुक्ति प्राधिकारी या कोई अधिकारी जिसके अधीन वह नियुक्ति अधिकारी है या सरकार द्वारा इस विषय में सशक्त कोई भी अन्य प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित कर सकेगा।
>
> (क) जहां तक उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है या ऐसी कोई कार्यवाही लम्बित है; या
>
> (ख) जहां उसके किसी फौजदारी अपराध के सम्बन्ध में, अन्वेषण या विचार हो रहा हो;
>
> परन्तु जहां निलम्बन की आज्ञा नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के स्तर के प्राधिकारी द्वारा दी गयी है तो उक्त प्राधिकारी, उन परिस्थितियों की रिपोर्ट, जिनमें ऐसी आज्ञा दी गयी थी, तुरन्त नियुक्ति प्राधिकारी को देगा।''

6. अतः उपरोक्त प्रावधान के तहत जहां कर्मचारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का विचार हो या ऐसी कोई कार्यवाही लम्बित है अथवा कोई फौजदारी अपराध के सम्बन्ध में अन्वेषण या विचार चल रहा हो तो कर्मचारी को निलम्बित किया जा सकता है। अपीलार्थी का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई फौजदारी अपराध के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और किसी भी एफआईआर में अपीलार्थी को संलिप्त नहीं माना गया है। ऐसे में अपीलार्थी को निलम्बित किया जाना उचित नहीं है।

7. नियम–13 सीसीए नियम के तहत आवश्यक नहीं है कि केवल किसी फौजदारी अपराध के सम्बन्ध में ही अन्वेषण या विचारण होने पर ही कर्मचारी को निलम्बित किया जा सकता हो, बल्कि उपरोक्त नियम–13 में यह भी प्रावधान है कि जहां कर्मचारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का विचार हो या लम्बित हो तो उस दशा में सरकारी कर्मचारी को निलम्बित किया जा सकता है। वर्तमान में अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है और अपीलार्थी को आरोप पत्र भी दिया जा चुका है। आरोप पत्र के गुणावगुण पर इस अधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। केवल यह देखना है कि अपीलार्थी को नियमानुसार निलम्बित किया गया है या नहीं एवं क्या निलम्बन किये जाने का आधार मौजूद था या नहीं। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला कलेक्टर को पत्र दिनांक

12.05.2023 (अनुलग्नक–3) प्रेषित कर अपीलार्थी के विरूद्ध संलिप्तता पाये जाने का आधार प्रकट किया है, जिसका उल्लेख पत्र में किया गया है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का कोई आधार नहीं हो। नियम–13 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही विचारणीय होने या लम्बित होने के आधार पर सरकारी कर्मचारी को निलम्बित किया जा सकता है। ऐसे में अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है तो अपीलार्थी को निलम्बित किया जाना नियम–13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप है। हम अपीलार्थी को निलम्बित किये जाने में कोई त्रुटि हेाना नहीं पाते हैं। यह भी स्थापित नहीं हुआ है कि अपीलार्थी के विरूद्ध आलोच्य आदेश द्वेषपूर्ण अथवा मनमाना हो। अपीलार्थी को निलम्बित किये जाने के आदेश में न्यायिक हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)